

फर्द अहकाम

जिल्ला... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... गोविन्दगढ़ (अलवर).....
 कांता..... बनाम..... इन्दरराम वर्गैरा.....
 प्रकरण सं. 2/98/2023 ता रज 30.5.2023


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
-------------	----------------------------------	----------------------------------

30.05.2023

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थगन वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 1047, 1048, 1049 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ़ में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 26.06.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

26/6/23 प्रार्थी उपस्थित।
 साबिक आदेश दिनांक..... 30.5.23
 की पालना में पत्रावली वास्ते..... अप्रार्थीगण
 दिनांक..... 07/8/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

07.08.23 पत्रावली पेश

/RO. चाव्य
 अवकाश
 पत्रावली दिनांक..... को पेश हो
 27.09.23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहमक जारी लय
	<p>27.9.23 ...वकील...साणी...अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक...30.5.23... की पालना में पत्रावली वास्ते...तलवी राज्य 057/24 के अंतिम ऑफिस दिनांक...06.11.23...को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
	<p>06.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब... ...को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
13.2.23	<p>...वकील...साणी...अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक...30.5.23. की पालना में पत्रावली वास्ते...तलवी राज्य 057/24 के अंतिम ऑफिस दिनांक...05.7.24...को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
	<p>05.1.24 ...वकील...साणी...अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक...30.5.23. की पालना में पत्रावली वास्ते...तलवी राज्य 057/24 के अंतिम ऑफिस दिनांक...08/2/24...को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
08.2.24	<p>पत्रावली हस्तगत हुई। वकील साणी अनुपस्थित। वकील व उनके साणी को धार-धार भावाप्य दिलायी गई। साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया तथा पुनः आवाजें लगायी गई। वकील व उनके साणी उपस्थित नहीं आये। अतः साणी पत्रा-212 का वकील व उनके साणी की अलम एजिन्सी- अलम पैरामी खारिज किया जाता है पत्रावली फैलल शूभार होकर नम्बर से क्रम हो वाद तमिल तमिल बखिल दफ्तर से।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	